

मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैंड कमेटी (यू0 पी0 एस0 बी0 सी0) की दिनांक 10 अगस्त, 2023 को लोक भवन के द्वितीय तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति- संलग्नानुसार

दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं तथा उन पर आ रही कठिनाईओं के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

2- मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर एवं बहराइच, जो नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वहां पर नेपाल की *Network Connectivity* होती है, किन्तु भारतीय *Network Service Provider* की *Network Connectivity* में भारी समस्या है। इस सम्बन्ध में बीएसएनएल/बीबीएनएल को पूर्व में भी निर्देश दिये गये थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर *Network / Internet Connectivity* समस्या को जल्द से जल्द दूर करायें, परन्तु अभी तक किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि *Network* में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु प्रमुख सचिव, आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग एवं *Network Service Provider* यथा जीओ, बीएसएनएल, एयरटेल आदि के साथ बैठक कर समस्याओं का निस्तारण कराये।

(कार्यवाही-दूरसंचार विभाग एवं आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

3- दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है *Call Before u Dig (CBuD) App* का उपयोग सम्बन्धित विभागों के द्वारा किया जा रहा है, परन्तु कुछ विभागों द्वारा अभी भी इस पर पूर्णतः कार्यवाही नहीं की जा रही है। विशेष कर नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा *Call Before u Dig (CBuD) App* उपयोग न किये जाने की वजह से कई जगह *Broadband Cable* कट गये हैं, जिससे *Network / Internet* की सेवारत बाधित हो रही है।

इस विषय में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभागों को पुनः आदेश निर्गत कर दिया जाये कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाएं खुदाई से पूर्व *CBuD* एप पर उसकी सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी इस बिन्दु को चर्चा में लाये।

(कार्यवाही: आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

4- वरिष्ठ उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि

भारत सरकार द्वारा निर्गत *National Building Code* के प्रसंगिक अध्याय को *State Building Code* और *State Rules* में समाहित कर लिया जाये तथा *Ministry of Housing And Urban Affairs* भारत सरकार द्वारा जारी किये गये *Model Building Laws 2022* के परिशिष्ट का क्रियान्वयन राज्य में कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

इस विषय में मत स्थिर किया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये *National Building Code* एवं *In-building solutions* से सम्बन्धित *Solutions* को *Model Building Bylaws* में सम्मिलित कर लिए जाने पर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

5- प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि *4G Saturation Project* के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थलों में दो गांवों में अभी भी बिजली की उपलब्धता नहीं है।

इस विषय में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लि० द्वारा अवगत कराया गया कि दोनों प्रस्तावित स्थलों पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुका है।

इस विषय में निर्देशित किया गया कि बीएसएनएल एवं दूरसंचार विभाग भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराये।

(कार्यवाही: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लि० एवं बीएसएनएल)

6- प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि कई पंचायत भवनों पर बिजली की उपलब्धता नहीं है, जिससे बीएसएनएल द्वारा लगाये गये उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं।

इस विषय में पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बीएसएनएल द्वारा किये गये अनुरोध पर 352 ग्राम पंचायतों का सर्वे कराया गया जिसमें से 111 पंचायत भवनों पर बीएसएनएल के उपकरणों की उपलब्धता पायी गयी, जिसमें से 108 पंचायत भवन बिजली द्वारा एवं 03 सोलर पैनल द्वारा पूर्णतः संचालित है।

इस विषय में निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में उपकरणों की उपलब्धता नहीं है, परीक्षण BSNL द्वारा किया जाय व पंचायती राज विभाग एवं BSNL अवशेष कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न करें।

(कार्यवाही: भारत संचार निगम लि०)

7- प्रधान महाप्रबन्धक, बीएसएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा *Optical Fiber Cable* के बिछाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति किलो मीटर निर्धारित शुल्क ₹0-1000/- से अधिक की धनराशि की मांग की जाती है। अतः उचित होगा कि इस हेतु पृथक से आदेश वन विभाग हेतु निर्गत कर दिये जायें।

इस विषय पर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सुझाया गया कि कई प्रशासकीय

विभाग कैबिनेट के माध्यम से छूट प्राप्त कर चुके हैं। अतः उचित होगा कि बीएसएनएल भी इस विषय पर आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही: आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

8- दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ROW Portal पर आवश्यक Document नई अंगीकार की गई संशोधित अधिनियम के अनुसार कर दिये जाये तथा Reason of Rejection की सूची को भी संशोधित कर दी जाय तथा जिन आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है तथा तदोपरान्त आवेदक द्वारा 45 दिनों तक कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें Deemed Reject कर दिया जाये।

इस विषय में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सचिव, दूरसंचार, भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में Reason of Rejection का Review कर आवश्यक संशोधन करा लें तथा Deemed Rejection का भी प्राविधान लागू कर दें।

(कार्यवाही: आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

9- दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि *5G Rollout Committee* की बैठक करा ली जाये जिससे *5G Rollout* तेजी से हो सके।

इस पर विशेष सचिव आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि *5G Rollout Committee* का उद्देश्य 5G Policy को मूलरूप में लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाने तक सीमित था। वर्तमान में पॉलिसी अंगीकृत की जा चुकी है। अतः इस कमेटी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उचित होगा कि *5G Rollout* से सम्बन्धित बिन्दु एसबीसी की बैठक में ही समाहित किये जाये।

उपरोक्त पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही: आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

10- दूरसंचार विभाग द्वारा जिला स्तरीय कमेटी की बैठक नहीं किये जाने से अवगत कराया गया एवं आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

इस विषय में निर्देशित किया गया कि सभी जनपदों को डीएलसी बैठक कराये जाने हेतु पृथक से आदेश निर्गत कर दें। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी इस बिन्दु को चर्चा में लाये।

(कार्यवाही: आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

11- **One Time Settlement Scheme** हेतु यह निर्णय समिति द्वारा लिया गया कि डीआईपीए/सीओएआई एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से मिलकर अपना सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिसके पश्चात इस विषय में निर्णय लिया जा सके।

(डीआईपीए/सीओएआई/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आई 0 टी 0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-1427/78-1-2023-1099/1227/2020

लखनऊ: दिनांक 04 अक्टूबर, 2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज्य विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 12- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

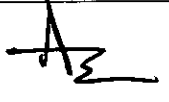
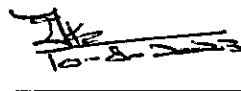
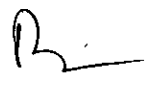
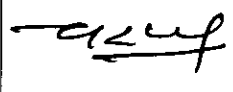
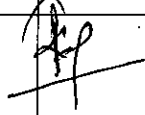
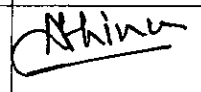
(कुमार विनीत)

विशेष सचिव।

File No.78-01099/1227/2020-00 0 -1-00

Signed by कुमार विनीत
Date: 30-08-2023 10:49:50
Reason: Approved

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) के संबंध में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दिनांक 10-08-2023 को अपरान्ह 03:30 से 04:00 बजे तक लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक की उपस्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं०/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.					
2.	Atul Sharma	PGM (BN) BSNL	BSNL	9455005550 pgmbnup@gmail.com	
3.	Vinod Kumar	Asstt. AC	DOT UP (East)	9412200056 voddgupta-dot-dot-dot@gmail.in	
4.	A.K. Mishra	DDG (R-1)	DOT UPE	9415011905	
5.	Rakesh Kumar	DDG (R-1)	DOT MPW	9868 217061	
6.	चरमात्मा राय	डिरेक्टर (शासकीय)	दूरसंचार विभाग लखनऊ	9868 136343	
7.	MUDIT MISHRA	DIRECTOR (TECHNOLOGY)	DOT, UPE	9013131529	
8.	Kamta prasad Singh	Sp. Secretary P.W.D	PWD	8130466001	
9.	A.K. Singh	SE D D S	PWD	8317031495	
10.	A.K. Garg	PSM (CM)	BSNL	9415050005	
11.	Babu Ram	PGM (CCFA)	BSNL	9415100027	
12.	A.K. Verma	DGM	BSNL	9412000529	

13.	Sandeep Jaiswal	AD (R)	DoT UPE LSA	9453016288 adrl-upc-dgt-dt@gov.in	
14.	Yogesh Kumar	Spl Secy Home	Home Dept.	9415813860	
15.	Shaulendra Singh	DG MCBN BSNL	BSNL	9415010345	
16.	Pranav Yadav	GM (NOR)	BSNL	9435713544	
17.	Mohan Thakur	chief coordinator (IT)	urban development dept.	9415128591	
18.	सुनील कुमार रिज	Spl. Sec.	Housing	7838285566	
19.	Anaathesh Kumar Khare	Joint Secy	Panchayat Ray	9454418717	
20.	प्रमोद कुमार झा	निदेशक ग्राम	पंचायत राय		 10/8/2023
21.	Shahab Rashid Khan	SP Computer Center	UP-Police	945440349	 10/8/2023
22.	Shukh Lal Chauhan	Spl. Sect RD	RD	9415192002	 10.8.2023
23.	Mithilesh Kumar	ASD	BOB	821801766// (Set off - 05 - 9454405300)	 10/8/23
24.	रवि लाल	विशेष निदेश	21779' 18/11/23	9454411496	
25.	Ashish Tiwari	Secretary Env. Forest		7007280909	
26.	Pankaj Kr	MO of Powerup	331		
27.					
28.					
29.					